

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-3

संख्या-17/2016/138 /चि0-3-16-1573/2015

लखनऊ : दिनांक : 22 जनवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-116/2015/1204/चि0-3-15-1573/2015, दिनांक 30-06-2015 द्वारा डा0 ललिता केरकेटा, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-11674, लेवल-3) जिला महिला चिकित्सालय, जनपद गोण्डा के, जिला महिला चिकित्सालय, महाराजगंज किये गये स्थानान्तरण को सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 31-05-2016 तक एतद्वारा स्थगित किया जाता है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30-06-2015 इस सीमा तक संशोधित पदा/समझा जाय।

डा0 काजल


विशेष सचिव

संख्या-17/2016/138 (1)/चि0-3-16,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, गोण्डा/महाराजगंज।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा/महाराजगंज।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, गोण्डा/महाराजगंज)।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अवधेश कुमार खरे)

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadeshah.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।